छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

एफ 3–35/2023/22–1, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 09/01/2025

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी (Chips),
तृतीय तल स्टेट, डाटा सेंटर बिल्डिंग,
नवीन सर्किट हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर
छत्तीसगढ़।

विषय :– संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई का विज्ञापन प्रारूप अपलोड करने बाबत्।

–000–

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई पद के लिये विज्ञापन आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु विज्ञापन सूचना प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाईट https://cgstate.gov.in के Notice Board में संलग्न विज्ञापन सूचना प्रारूप को दिनांक 14.01.2025 से दिनांक 14.02.2025 तक अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिसका लिंक विज्ञापन प्रारूप "**संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई (संविदा) पद पर आवेदन**" के नाम से प्रदर्शित हों।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ भाासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विज्ञापन प्रारूप

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के सुचारू संपादन हेतु **''संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई''** पद हेतु राज्य स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पद का नामः— संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई (संविदा)

पद की संख्याः— 01

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 14.02.2025

अर्हता :—

(अ) 1. अभ्यर्थी के पास अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय संगठन/केंद्र एवं राज्य सरकार की किसी योजना/गैर–शासकीय संगठन/सिविल सोसायटी संगठन अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य संगठन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन/सामाजिक अंकेक्षण/सरकारी खातों के प्रबंधन में न्यूनतम 15 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी को अधिमानतः (Preferably) कम से कम दो वर्षों का सामाजिक अंकेक्षण क्षेत्र का अनुभव होना चाहिये।

2. अभ्यर्थी के पास संगठन चलाने, अलग–अलग कौशल स्तरों के साथ मानव संसाधनों को संभालने के लिये प्रशासनिक क्षमता होना चाहिए।

3. अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए।

4. प्रतिष्ठित संस्था एवं उसके कार्य क्षेत्र तथा पदीय दायित्वों के आधार पर कण्डिका–01 में वर्णित 15 वर्ष के कार्य अनुभव में चयन समिति अधिकतम 5 वर्षों तक की छूट प्रदान कर सकता है।

अथवा

(ब) अभ्यर्थी, जो केन्द्र अथवा राज्य शासन के अधीन वेतन बैंड 15600–39100, ग्रेड वेतन 7600, लेवल–14 अथवा इससे उच्च वेतनमान में कार्य किया हो और उसे अंकेक्षण कार्य/ग्रामीण विकास परियोजनाओं में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें अभ्यर्थी को अधिमानतः (Preferably) कम से कम दो वर्षों का सामाजिक अंकेक्षण क्षेत्र का अनुभव होना चाहिये।

(स) छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के संचालक के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्रमशः...

आयु सीमाः— विज्ञापन तिथि को अभ्यर्थी की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं हो। इस संबंध में हाई स्कूल अथवा हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची संलग्न करें।

अन्य शर्ते :—

1. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ **"संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिये अभ्यर्थी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार क्यों है?"** विषय पर लेख अधिकतम 500 शब्दों में **अंग्रेजी अथवा हिन्दी में संलग्न करना होगा।**
2. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निर्धारित अनुभव अवधि की उपलब्धि के संबंध में विवरण संलग्न करना होगा, साथ ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य उनके द्वारा किस प्रकार संपादित किया जाएगा के संबंध में एक रोडमैप (कार्ययोजना) संलग्न करना होगा।
3. अभ्यर्थी को हिन्दी भाशा में बोलने एवं लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योकि राज्य में समस्त कार्यालयीन पत्राचार हिन्दी में किया जाता है।
4. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ी भाशा बोलने एवं समझने की क्षमता का उल्लेख आवेदन में करना होगा।
5. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ केंद्र अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी से निम्नानुसार पहचान प्रमाण पत्र संलग्न करना होगाः—

पहचान प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मै, श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पति/पिता का नाम श्री ..... को पिछले .....वर्ष ..... माह से जानता हूं तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....

तारीख ..... पदनाम तथा स्पष्ट मोहर एवं पता

6. अभ्यर्थी को आवेदन के साथ एक शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें उनके द्वारा यह घोषणा किया जाये कि उनके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है और न ही उन्हें किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है।
7. सामाजिक अंकेक्षण के संचालक पद हेतु चयनित व्यक्ति को मुख्यालय, रायपुर में रहकर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करना होगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन करना होगा।

क्रमशः...

कार्यावधि :–

1. संचालक, सामाजिक अंकेक्षण पद हेतु कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होगा।
2. संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर एक–एक वर्ष हेतु 2 वर्ष तक संविदा वृद्धि की जा सकती है।
3. संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रत्येक वर्ष गोपनीय प्रतिवेदन मुख्य सचिव, छ.ग. शासन को प्रस्तुत करना होगा।
4. संविदा वृद्धि के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

वेतन एवं सुविधाएं :–

''सामाजिक अंकेक्षण इकाई'' के संचालक पद हेतु चयनित व्यक्ति को –

1. एकमुश्त राशि रु. 1,00,000/– (एक लाख रुपये) मासिक देय होगा।
2. वाहन की पात्रता आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा के समकक्ष होगा।
3. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 के अधीन होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 से शासित होगे।

पदच्युति/त्यागपत्र :–

1. ''सामाजिक अंकेक्षण इकाई'' के संचालक के पद पर संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष (नियुक्त अभ्यर्थी अथवा भारसाधक सचिव) द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज् में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

कार्य :– संचालक सामाजिक अंकेक्षण इकाई के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. सामाजिक अंकेक्षण इकाई का संचालन एवं नियंत्रण करना।
2. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के दिन–प्रतिदिन के कार्यो का प्रबंधन करना।
3. सामाजिक अंकेक्षण इकाई से संबंधित नीतिगत निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना।
4. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के उद्देश्य और दृष्टिकोण हेतु समस्त आवश्यक क्रियाकलापों को पूर्ण करना।
5. सामाजिक अंकेक्षण इकाई हेतु कर्मचारियों (अमलों) की भर्ती करना तथा दिन–प्रतिदिन के आय–व्यय का प्रबंधन करना।
6. निर्धारित अंतराल पर सामान्य सभा की बैठक आहुत करना एवं सामाजिक अंकेक्षण इकाई के समिति के बैठकों का कार्यवाही विवरण, अभिलेख व पंजियों का संधारण सुनिश्चित करना।
7. शासकीय अधिकारियों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करना।
8. सामाजिक अंकेक्षण इकाई के नियमावली में उल्लेखित अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में सौंपे गए अन्य कार्य।

क्रमशः...

चयन प्रक्रिया :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
2. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो, साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित किया जावेगा।
3. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

आवेदन करने का तरीका :–

इच्छुक आवेदक द्वारा पूर्ण जानकारी के साथ विज्ञापित पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जावेगा :–

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
कक्ष क्रमांक–19, तृतीय तल,
विकास भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ भाासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

संचालक (सामाजिक अंकेक्षण) संविदा पद हेतु
आवेदन प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
कक्ष क्रमांक–19, तृतीय तल
विकास भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

अभ्यर्थी
स्व–प्रमाणित
फोटो
चिपकाये

1. विज्ञापन में उल्लेखित अर्हता कंडिका 'अ' अथवा 'ब' के तहत् आवेदन प्रस्तुत–
   (उल्लेख करें) :.....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :.....
   (अंग्रेजी में) :.....
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :.....
   (अंग्रेजी में) :.....
4. वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा. अपिव/निःशक्तजन) :..... जाति .....
5. जन्म तिथि (अ) अंकों में :.....
   (ब) शब्दों में :.....
   (स) विज्ञापन तिथि को आयु वर्ष ..... माह ..... दिन .....
6. स्थायी मूल निवास का पता :.....
   .....
   .....
7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :.....
   :.....
   :.....
8. मोबाईल नंबर :.....
9. ई–मेल आई.डी. :.....
10. वैवाहिक स्थिति :– विवाहित/अविवाहित

11. शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

12. कार्यानुभव का विवरण :–

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव तिथि		
			दिनांक से	दिनांक तक	कुल वर्ष
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

13. संगठन चलाने, संप्रेशण, प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का विवरणः–.....
.....
.....
.....
.....

14. सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होने बाबत्
अधिकतम 500 ाब्दों में लेख (अंग्रेजी अथवा हिन्दी में) संलग्न :– है / नहीं

15. सामाजिक अंकेक्षण कार्य का संपादन के संबंध में।
रोड मैप (कार्ययोजना) संलग्न :– है / नहीं

16. केंद्र अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी से पहचान प्रमाण पत्र।
संलग्न :– है / नहीं

17. अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने और न ही किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामलों में दोषी ठहराये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र। संलग्न :– है / नहीं

18. सामाजिक अंकेक्षण के क्षेत्र में कार्य का अनुभव का विवरण.....
.....
.....
.....

19. एक या अधिक क्षेत्रों में कार्य अनुभव का विवरणः–.....
.....
.....
.....

20. हिन्दी भाशा का ज्ञान का विवरणः–.....
.....
.....

21. छत्तीसगढ़ी भाशा का ज्ञान का विवरणः–.....
.....
.....

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित) :–

1. ..... 5. .....
2. ..... 6. .....
3. ..... 7. .....
4. ..... 8. .....

.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है, तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी चयन/नियुक्ति/सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक .....

स्थान .....

.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

टीप :– कृपया आवेदन में दिये गये विवरण के क्रम में प्रमाण पत्रों को संलग्न करें एवं संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में तदानुसार लेख करें।

Advertisement Format

Government of Chhattisgarh
Department of Panchayat and Rural Development
Nawa Raipur Atal Nagar, Raipur, Chhattisgarh

Application are invited for the post of Director, Social Audit Unit for coordinating Social Audit of works under Mahatma Gandhi NREGA and other schemes of Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Raipur.

Name of Post: **Director, Social Audit Unit (Contract)**

No. of Post: **01**

Last Date of Submission: 14.02.2025

Eligibility Criteria:

(A) 1. Applicant should have a minimum of 15 years working experience with international or national level organization/ national and state level programmes and schemes/ non-governmental organizations/ civil society organizations or similar such organizations working engaged in implementation of government programmes and schemes in Rural area/ Social Audit/ management of government account, In which the candidate should preferably have at least two years of experience in the social audit field.

2. Applicant should be adequately capable and efficient enough to look after human resources with various skills and also be able to conduct businesses of an organization.

3. Applicant should have Post Graduate degree in any discipline from any recognized University.

4. Selection Committee will have the prerogative to relax the work experience as mentioned in Para-1 from 15 years to maximum of 5 years after being satisfied with the experience of such deserved candidate/applicant.

OR

(B) Such applicant who have worked in PB 15600-39100, GP 7600, level 14 or above under the Central/State government and have at least 10 years of experience in Audit work/Rural development projects, In which the candidate should preferably have at least two years of experience in the social audit field.

(C) The applications submitted by the candidates who had previously worked for the post of Director of Chhattisgarh Social Audit Unit, Raipur, will not be considered.

Age Limit:

Applicant should not be more than 62 years of age at the date of advertisement for the proof of age applicant shall have to produce the mark sheet of High school/ higher secondary education.

Other Conditions:

1. Applicant shall have to enclose a write-up of maximum 500 words along with application on 'Why applicant is the best suitable candidate for the post of Director, Social Audit,' either in Hindi or English.
2. Applicant shall have to submit the description of her/his major achievements during the last 15 years of working experience and also have to submit an roadmap (Action Plan) for conduct of Social Audit work in the state.
3. Applicant should be proficient in Hindi (Written/Oral) since, major official works in state is performed in Hindi.
4. Applicant should clearly mention in application, his/her ability to understand and speak in Chhattisgarhi.
5. Applicant shall have to submit an identity certificate in following format duly signed by any class one Gazzetted officer of Central/State government:-

Identity Certificate

This is to certified that I, Mr./Mrs./Kumari ..... name of Husband/Father ..... last .....year ..... I have known since the month of ..... and details given by him are correct as far as I known and as far as I believe.

Place ..... Signature .....

Date ..... Designation and clear stamp and address.

6. Applicant shall have to submit an affidavit, where in he/she shall declare that there are no criminal cases pending before any court of law, further he/she had not been punished by any court of law in any criminal cases.
7. Selection candidate for the position of Director social audit shall have to work in the state as a whole having Headquarter based at Raipur.
8. The candidate has to apply by himself.

Tenure of appointment:-

1. The tenure for the post of Director, Social Audit will be -maximum of 3 years.
2. On the basis of evaluation of the work done by the Director, Social Audit Unit, the contract can be extended for one year up to 2 years.

3. Director, Social Audit Unit will have to submit Confidential report every year to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh.
4. The government's decision regarding contract extension will be final and valid.

Emoluments :

The selected candidate for the post of Director, Social Audit Unit will be remunerated as follow:-

1. Monthly consolidated salary of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only).
2. Vehicle facility equivalent as provided to Commissioner, Mahatma Gandhi NREGA, Chhattisgarh.
3. This appointment will be governed by the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam 2012.
4. Person appointed on contract basis will be governed by Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules-1965.

Resignation/Termination:

1. During the period of contractual appointment to the post of Director, Social Audit, Either of both (Appointed candidate or Incharge Secretary) the parties may terminate the contract appointment during the period of contract appointment by giving one month's notice in advance or paying one month's salary in its place.

Role and Responsibility:

The core functions of Director, State Social Audit Unit are follows:-

1. Overall management, coordination and control of Social Audit Unit.
2. Manage day-to-day functioning of the Social Audit Unit.
3. Ensure that all policy level decisions related to the unit are implemented.
4. Undertake all activities to fulfill goals and objectives of Social Audit.
5. Recruit staff, award consulting contracts and incur necessary expenditure to manage day to day affairs.
6. Convene Governing Body meeting at stipulated intervals and maintain all minutes, records and registers of Social Audit Unit.
7. Interact and communicate with all Government Officials.
8. Accomplishment of roles and responsibilities as mentioned in the act of Social Audit Unit.
9. Undertake any other work assigned by Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh on Social Audit.

Recruitment Process:

1. Entire recruitment process will be conducted by the selection committee constituted under the Chairpersonship of Chief Secretary, Government of Chhattisgarh.
2. If the number of application received is more, then the number of candidates to be called for interview will be limited.
3. The decision of the selection committee regarding selection will be final and valid.

How to Apply :

The application for the advertised post with full information by the interested applicant will be sent to the following address through registered post/speed post:-

Commissioner, MGNREGA

Room No. 19, 3rd floor, Vikas Bhavan, Sector-19, North Block,

Nawa Raipur Atal Nagar, Raipur, Chhattisgarh.

Under Secretary,
Government of Chhattisgarh
Panchayat & Rural Development Department

Application form for the contractual post of Director, Social Audit Unit

To,

Commissioner, MGNREGA,
Room No. 19, 3rd floor, Vikas Bhavan, Sector-19, North Block,
Nawa Raipur Atal Nagar, Raipur, Chhattisgarh.

Applicant to paste self attested Photograp

1. Application submitted under criteria 'A' or 'B' in the advertisement (mention) :.....
2. Name of the Applicant (In English) : .....
   (In Hindi) : .....
3. Father's/Husband's Name (In English): .....
   (In Hindi) : .....
4. Category (UR/SC/ST/OBC/ Disability) :..... Caste.....
5. Date of Birth (a) In Figures : .....
   (b) In Words : .....
   (c) Age as on Advertisement Date : Year.....Month.....Day.....
6. Permanent Residential Address : .....
   : .....
   : .....
7. Correspondence Address : .....
   : .....
   : .....
8. Mobile No. : .....
9. E-mail ID : .....
10. Marital Status - : Married/Unmarried/.....
11. Educational Qualification:-

S. No.	Examination Passed	Name of Institution/Board/ University	Year of Passing	Obtained Marks	Total Marks	Perce ntage	Division
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

12. Details of Work Experience:-

S. No.	Name of Institution/ Organization	Designation	Duration of Experience		
			From date	To date	Total Year
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
.....					

13. Give details of your Efficiency and Skills regarding "*Organization Development, Communication, Management and Leadership*":

.....

.....

.....

14. Regarding best suitable candidate for the post, have you enclosed a write-up of up to 500 words? (In English or Hindi):- Yes/No .....

15. Whether enclosed a Road Map (Action Plain) for conducting Social Audit Work in State? :-Yes/No.....

16. Whether enclosed the identity certificate in format duly signed by any class one Gazzetted officer of Central/State government:- Yes/No.....

17. Whether enclosed a Affidavit regarding no criminal cases pending before any court of law, further he/she had not been punished by any court of law in any criminal cases:- Yes/No.....

18. Details of Work Experience in field of Social Audit :-

.....

.....

.....

.....

19. Details of Work Experience in other fields (Mention All):

.....

.....

.....

.....

20. Details of knowledge of Hindi Language:

.....

.....

.....

.....

21. Details of knowledge of Chhattisgarhi Language:

.....

.....

.....

22. List of Certificates enclosed (Self Attested):-

1. .....5. .....
2. .....6. .....
3. .....7. .....
4. .....8. .....

.....

Name of Applicant and Signature

Declaration

I hereby declare that all information cited above is complete and true. If above information is found wrong in any circumstances, my selection/ appointment/ service may be terminated and as per rules, Government will have rights to take any disciplinary action against me.

Date: .....

Place: .....

.....

Name of Applicant and Signature

Note:- Please enclose the certificates in order of the details provided in application form and mention the serial number on the certificates.